इकाई 8 अलग राज्य की माँग के लिये आन्दोलन*

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 अलग राज्य के लिये आंदोलन : अर्थ एवं क्षेत्र

8.3 संवैधानिक प्रावधान

8.4 अलग राज्य के लिए आंदोलनों उठने के कारण

8.5 कुछ उदाहरण

8.5.1 1950-1960 में आंदोलन या भाषाई आधार पर राज्यों की माँग का आंदोलन

8.5.2 उत्तर-पूर्व भारत के राज्य

8.5.3 हिन्दी बेल्ट (क्षेत्र) में राज्य की माँग के आंदोलन

8.5.4 तेलंगाना राज्य की माँग के लिए आंदोलन

8.6 राजनीतिक दल एवं राज्य का जवाब

8.7 सारांश

8.8 संदर्भ सूची

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

यह इकाई भारत में नये राज्यों के गठन के लिए हो रहे आन्दोलनों की चर्चा से संबंधित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह समझ सकेंगे :

- भारत में अलग राज्य के आंदोलन का अर्थ, लक्षण एवं कारणों को समझना;
- राज्य पुनर्गठन के संविधानिक प्रावधानों को समझना;
- अलग राज्य की राजनीति के संदर्भ को पहचानना, और
- अलग राज्य की माँग पर राज्य के जवाब या राज्य द्वारा की गयी पहल के बारे में विश्लेषण करना।

8.1 प्रस्तावना

भारतीय राज्यों विभिन्न भाषाओं, धर्मों एवं सांस्कृतिक गुटों समुदायों के लोग रहते हैं एवं राज्यों में क्षेत्रीय विकास का स्तर भी असमान है। इसी संदर्भ में क्षेत्रीय विविधताऐं ही राज्य में क्षेत्रीय जन चेतना को पैदा करने का आधार हैं। इस प्रकार की चेतना रखने वाले लोग यह मानते हैं कि राज्य में जो प्रशासनिक ढ़ाँचा है उसने उनके क्षेत्र के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है। और उनकी समस्या का एक मात्र समाधान है अलग राज्य का गठन करना। नया राज्य पूर्ण रूप से सभी प्रशासनिक निर्णय लेने के लिये एवं प्रशासन को सही तरह से चलाने के लिये स्वतंत्र होगा। प्रायः नये राज्यों की माँग करने वाले सामूहिक कार्यवाही एवं आन्दोलन का सहारा लेते हैं। भारत में नये राज्यों की माँग 1950 के दशक से ही शुरू हो गयी थी। नये राज्यों का निर्माण 1950, 1960, 1970, 1980 के दशकों तथा

*प्रो. जगपाल सिंह, राजनीति विज्ञान संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

2000 एवं 2014 में किया गया हैं। नये राज्यों के गठन के बाद भी और माँगें भी उठने लगी है। ए. के. सिंह (2009) के आकलन के अनुसार, भारत में 30 से अधिक राज्यों एवं स्वायत्ता के आंदोलन हो रहे हैं।

8.2 अलग राज्यों के गठन के लिए आन्दोलन : अर्थ एवं दायरा (क्षेत्र)

किसी क्षेत्र में सत्ता के संबंधों का पुनर्गठन करना एवं उसके लिये आंदोलन करना भी क्षेत्रीय आंदोलन हैं, क्योंकि यह भी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करता है। ये आंदोलन सामान्य तौर पर तीन रूपों में उभरते हैं :- (1) अलग राज्य की माँग आंदोलन, (2) स्वायत्ता आंदोलन तथा (3) पृथकवादी आंदोलन। अलग राज्य के लिए आंदोलन की माँग है कि किसी राज्य से अलग होकर नया राज्य का गठन किया जाये। स्वायत्ता आंदोलन प्रशासनिक स्वायत्ता की माँग करते हैं ताकि उनके कामों में दखलदाजी न हो। जैसा आप ईकाई 6 में पढ़ा है, अलग राज्य के लिए आंदोलन से भिन्न ये आंदोलन अलग राज्य की मांग नहीं करते हैं। पृथकतावादी आंदोलन, पूर्ण रूप से राज्य से पृथक या अलग होने की बात करते हैं तथा स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्य की माँग करते हैं। यहाँ यह बात नोट करने की है कि हमारे संविधान अलग राज्य के गठन एवं स्वायत्ता के प्रावधान की बात तो करता है परंतु राज्य किसी क्षेत्र को पृथक (secession) होने की इजाजत नहीं देता है।

8.3 संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनु. 3 के अनुसार भारत में नये राज्यों के गठन का प्रावधान है। संविधान के मुताबिक, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे नये राज्यों के गठन की प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकते हैं। राष्ट्रपति यह प्रक्रिया अपने स्वयं से या फिर जिस राज्य से अलग राज्य बनाया जाने वाला है उससे सलाह मशविरा करके शुरू कर सकते हैं। ऐसे राज्य, राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते है कि वे अपने राज्य को बाँटकर नये राज्य के गठन की इच्छा रखते हैं। संबंधित राज्य अपनी विधान सभा में ऐसे प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति केन्द्र सरकार से यह कह सकते हैं कि वे संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित विधेयक प्रस्तुत करे तथा पारित भी करे। यदि संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात् यह विधेयक वापस राष्ट्रपति को मंजूरी के लिये जाता है, राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी मंजूरी देते हैं, तत्पश्चात् इस विधेयक की अधिसूचना जारी करके नये राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू हेाती है। यह प्रायः देखा गया है कि अनु. 3 की राजनीतिक व्याख्या की गयी है। यद्यपि, राष्ट्रपति के पास नये राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, लेकिन वे राज्य सरकार के साथ सलाह मशविरा करने के बाद ही ऐसा करते है। प्रस्ताव पारित होने में राजनीतिक सौदेबाजी तथा राजनीतिक प्रभाव का अवसर होता है। राजनीतिक दल जो सत्ता में है एवं जो विपक्ष में है उनके बीच आपसी तालमेल एवं सहमति के बिना यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। प्राय यह देखा गया है कि राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तो नये राज्यों के गठन की माँग करते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में होते हैं, तब इसका विरोध करते हैं।

8.4 अलग राज्यों के गठन के आंदोलनों के प्रमुख कारण

नये राज्यों के गठन की माँग के पीछे कुछ विशेष कारण है। इन कारणों में कुछ विशेष लोगों की माँग एवं शिकायतें शामिल है। इन प्रमुख कारणों में, भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म,

विकास का स्तर तथा कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी शामिल है। नये राज्यों की माँग करने वाले यह आरोप लगाते हैं कि उनके क्षेत्र को अनदेखा किया गया है, एवं इन कारणों के आधार पर उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है। इसलिए ये सभी कारण नये राज्यों की माँग का आधार बने हैं तथा इसके परिणामस्वरूप नये राज्यों के गठन के लिये आंदोलन में तेजी आई है। यहाँ यह बात नोट करने वाली है कि कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से ही राज्यों के गठन की माँग तेजी से बढ़ रही है। कुछ आन्दोलनों में, भाषा एक प्रमुख कारण बनकर उभरी है बजाय अन्य सभी कारणों के। कुछ आन्दोलनों में विकास, जाति एवं धर्म भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये सभी कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न-भिन्न है, तथा इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है।

अभ्यास प्रश्न1

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) अलग राज्य का दर्जा आंदोलन क्या है? स्वायत्ता से यह किस प्रकार भिन्न हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नये राज्यों का गठन किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 कुछ उदाहरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत में अलग राज्य के दर्जे के लिए आंदोलनों के अनेक उदाहरण है। उन्हें हमें चरणों में विभाजित कर सकते हैं :- प्रथम चरण 1950 के दशक से 1960 के दशक तक या भाषाई संगठन, दूसरा चरण - उत्तर-पूर्व भारत का पुनर्गठन 1963, 1971-72 एवं 1985 में, तीसरा चरण - हिन्दी पट्टी राज्यों में आन्दोलन, 1990 से 2000 तक, तथा चतुर्थ चरण - तेलंगाना आंदोलन।

8.5.1 1950-1960 दशकों केआंदोलन या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

1950 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों की माँग उठने लगी। एक अक्टूबर 1953 को, देश का प्रथम भाषाई राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाया गया, वह था आन्ध्र राज्य। यह, एक अक्टूबर 1953 को पॉटी श्रीरामूलू की मौत के बाद बनाया गया, जिन्होंने अलग भाषाई राज्य की माँग करते हुए अनशन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी। यह राज्य मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था जिसकी जनसंख्या तेलगू भाषा बोलने वालों की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी 1937 में भाषा के आधार पर उड़ीसा एवं सिन्ध का गठन किया गया था। इन उदाहरणों में ब्रिटिश सरकार की नीति भाषा के आधार राज्यों के निर्माण के विपरीत थी। 1920 के दशक में कॉंग्रेस ने भी अपनी प्रांतीय समितियों का गठन भाषा के आधार पर की थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत, सरकार राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने के समर्थन में नहीं थी। यह एक प्रकार से कॉंगेस पार्टी का अपनी नीतियों से अलग चलने का कदम था, जो उसकी प्रांतीय समितियों के गठन के भाषा के आधार बनाने के विपरीत था। सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का प्रमुख कारण था उस समय की परिस्थितियों में आये बदलाव। उस वक्त देश के सामने कई चुनौतियाँ थीः विभाजन के पश्चात् बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी इत्यादि। इन सब परिस्थितियों के कारण केन्द्र ने यह महसूस किया कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। तथा भाषाई आधार पर विभाजन इसे कमजोर करेगा। इस परिवर्तन के बाद ही पॉटी श्रीरामूलू ने आंध्रप्रदेश राज्य के गठन के लिय अनशन करने का फैसला किया था।

1953 में आंध्रप्रदेश का गठन होने के पश्चात् भारत सरकार ने न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी) का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। इस आयोग के पूर्व भी 1948 में धर आयोग का गठन किया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात थी। धर आयोग ने भाषा के आधारपर राज्यों के गठन का पक्ष नहीं लिया था। फिर से, धर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिये एक समिति (जे वी पी समिति)का गठन किया गया, जिसके सदस्य जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टा वी सीतारमैया थे। यह समिति धर आयोग की रिपोर्ट से सहमत थी एवं राज्यों के भाषा के आधार परपुनर्गठन के विरूद्ध थी। राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी)ने भाषा के अधार पर राज्य पुर्नगठन का सुझाव दिया था तथा उसकी सिफारिशों के अनुसार 1956-1960 में कई राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था।

1966 में पंजाब तथा उसके साथ हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का गठन, पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम था। पंजाबी सूबा आंदोलन अलग पंजाब राज्य पंजाबी भाषा के आधार बनाने की मॉग से शुरू हुआ था। यहाँ इस केस में धर्म भी शामिल हो गया क्योंकि ज्यादातर पंजाबी भाषा बोलने वाले सिख धर्म से ताल्लुक रखते थे। मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब राज्य बनने के पश्चात पंजाबी भाषा से अलग पंजाब के क्षेत्रों को अलग करके हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा राज्य बनाए गए। जिस क्षेत्र को पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेशबनाये गए वहाँ की हिन्दी प्रमुख भाषा है।

8.5.2 उत्तर-पूर्व भारत के पुनर्गठन के लिये आन्दोलन

उत्तर-पूर्व भारत में, भारतीय संविधान की परिधि में सत्ता संबंधों के पुर्नगठन संबंधित दो प्रकार के आंदोलन होते है : एक स्वायत्ता आंदोलन तथा दूसरा, अलग राज्य के दर्जे के लिये आंदोलन। आपने इकाई संख्या 6 के अंदर स्वायत्ता आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। आप इस उप-इकाई में उत्तर-पूर्व मेंअलग राज्य के दर्जे के आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी) ने उत्तर-पूर्व राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव नहीं दिया था। एस.आर.सी., असम में से अन्य किसी पहाड़ी राज्य के गठन के खिलाफ थी। इसका मानना था कि पुनर्गठन करने के बाद पहाड़ी क्षेत्र में अलगाववाद की प्रक्रिया उत्पन्न होगी, जो कि उपनिवेशवादी नीति के कारण शुरू हुई थी। इस नीति ने उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों को "बहिश्कृत एवं आंषिक बहिश्कृत" क्षेत्रों में बाँट दिया था। पहाड़ी क्षेत्रों में नये राज्यों के गठन के बजाय, वहाँ पर भाषाई एवं सांस्कृतिक स्वायत्ता का सुझाव दिया था। एस.आर. सी. ने यह भी दलील दी कि यदि असम से अलग पहाड़ी राज्यों का गठन किया गया तो वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगें। तथापि, कुछ समय पश्चात् अनेक राज्य जो नये बनाये गये वे असम का ही हिस्सा थे। उनमें नागालैण्ड 1963 में, मेघालय,मणिपुर एवं त्रिपुरा 1972 में, अरूणाचल प्रदेश एवं मिजोरम 1985 में शासित प्रदेशों से राज्य बनाये गये थे। सिक्किम का 1975 में भारत में विलय किया गया था।

पहाड़ी राज्य आन्दोलन

आदिवासी बहुल खासी, जैंतिया, गारो, लुसाई जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, जो कि असम के भाग थे, के नेताओं ने पहाड़ी राज्य के गठन की इच्छा जताई थी। यद्यपि, पहाड़ी राज्य आंदोलन कोमुख्यतः उस समय के आसाम के अन्य पहाड़ी जिलों का समर्थन प्राप्त था पर इसे मुख्यतौर पर गारो, खासी, तथा जैंतिया पहाड़ी इलाकों से समर्थन मिला। यह माँग फिर से तूरा में ट्राइबल सम्मेलन में 1954 में दोहराई गयी थी। उन्होंने पहाड़ी आदिवासी संघ (Hill Tribal Union) का गठन किया जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू. ए. संगमा थे तथा सचिव बी. बी. लिंदोह थे। 1955 में, सभी पहाड़ी नेता आईजोल में मिले एवं उन्होंने पूर्वी भारत आदिवासी संघ (EITU)का गठन किया। 1960 में, EITUके स्थान पर एक नया संघ बनाया गया जिसका नाम था सर्व दलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन (All Party Hill Leaders Confrence) जिसका नेतृत्व विलियम संगमा ने किया। 1960 में असम में असमी भाषा विधेयक के असम विधान सभा में पारित होने के बाद ये लगा कि यह गैर-असमी भाषी समुदाय पर थोपी गयी भाषा थी, इसने भी अलग पहाड़ी राज्य की माँग को बढ़ावा दिया। ए.पी.एच.एल.सी. सभी जिलों का एकीकरण चाहती थी, नगा पहाड़ी जिले को छोड़कर, जो कि संविधान के भाग 'ए' की छठी अनुसूची में दिया गया है। नगा जिलों को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि नगा हिल के नेतृत्व नेता एक संप्रभु राज्य चाहते थे, जबकि ए.पी.एच.एल.सी. का नेतृत्व भारतीय संघ के अंदर ही अलग राज्य बनाना चाहती थी। 1960 में, नेहरू ने स्कॉटलैण्ड के समान सभी पहाड़ी इलाकों को स्वायत्ता देने का प्रस्ताव दिया, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों के नेताओं ने खारिज कर दिया। लेकिन इस प्रस्ताव को ए.पी.एच.एल.सी. के एक गुट ने स्वीकार कर लिया था वह गुट था आसाम हिल पिपुल्स कॉफ्रेस (एच एस पी सी)। इसके परिणामस्वरूप, एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था पटस्कर आयोग। इसका कार्य था स्वायत्ता के विषय को देखना। इस आयोग ने छठी अनुसूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरूद्ध सिफारिश की। इससे ए.पी.एच.एल.सी. नाखुश दिखाई दी। इसके विरोध में, इसने 1967 के आम चुनावों का भी बहिश्कार किया। ऐसी स्थिति में जब इंदिरा गाँधी ने 1967 में शिलांग का दौरा किया तब उन्होंने असम का पुनर्गठन करने का वादा किया था। इसके परिणामस्वरूप, 1969 में संसद ने संविधान का 22वाँ संशोधन विधेयक पारित किया,

जिसे असम पुनर्गठन विधेयक कहा जाता है। जिसके अनुसार असम के अंदर ही (ऑटोनोमस स्टेट) मेघालय का गठन किया गया। 1971 में, राष्ट्रपति ने नये राज्यों के गठन के लिए कानून पास किया, जिसके अनुसार मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे नये राज्य एवं मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन हुए थे।

नागालैण्ड के लिये आंदोलन

आपने इकाई संख्या 6 में स्वायत्ता के बारे में तथा इकाई संख्या 7 में विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा। इस इकाई में आप नागालैण्ड के गठन के बारे में पढ़ेंगे। नागालैण्ड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। जैसा कि आपने इकाई संख्या 7 में पढ़ा है,1960 में नागालैण्ड राज्य का गठन असमी भाषा के थोपने के कारण नहीं हुआ था बल्कि, यह उससे पहले ही शुरू हो चुका था। फिर भी केन्द्र ने 1963 में अलग नागालैण्ड राज्य बनाने का निर्णय लिया था। मिजोरम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मिजोरम के लिये भी कोई आंदोलन नहीं था बल्कि उससे पूर्व विद्रोह था।

असम समझौता तथा राज्य के दर्जे के लिये आंदोलन

1985 में असम समझौता हुआ था जिसने 6 साल तक विदेशी विरोधी आंदोलन को असम में समाप्त किया था, इसके बाद अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम जो केन्द्र शासित प्रदेश थे उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इससे यह पता चलता है कि उत्तर-पूर्व भारत में, अलग-अलग समय में अलग-अलग राज्य बनाये गये थे तथापि इन राज्यों के गठन के बाद भी अलग राज्य की माँग समाप्त नहीं हुई थी। असम समझौते के बाद बोडोलैण्ड के गठन की माँग तेजी से उठने लगी तथा करबी एंगलौंग जिले की स्वायत्ता की माँग भी उठने लगी।

उत्तर-पूर्व में अन्य आन्दोलन

उपर्युक्त आंदोलनों के अलावा भी उत्तर-पूर्व भारत में अलग राज्यके लिए और भी आंदोलन हुए थे। बंगाली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक लोगों ने भी अलग राज्य की माँग की। 1960 के असम भाषा विधेयक ने इस आंदोलन को और बढ़ाया था। कचर राज्य पुनर्गठन समिति, जिसका निर्माण एस.आर.सी. रिपोर्ट जमा करने के बाद हुआ था, ने इस माँग को उठाया तथा बंगाली बहुल इलाकों में पूर्वाचंल प्रदेश बनाने की माँग उठाई।

8.5.3 हिन्दी पट्टी राज्यों में अलग राज्य के लिए आंदोलन

चार नये राज्यों के गठन, जिसमें सन् 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड एवं 2014 में तेलंगाना के गठन करने बाद भी हिन्दी पट्टी राज्यों में अलग राज्य की माँग बंद नहीं हुई हैं। 1950 एवं 1970 के दशकों के विपरीत, जिसमें भाषा एवं संस्कृति मुख्य आधार था, 1990 के दशक से नये राज्यों के गठन के लिए विकास सबसे प्रमुख आधार था।

उत्तराखण्ड / उत्तरांचल

उत्तराखण्ड की उत्तर प्रदेश में से एक राज्य बनने की माँगएक प्रमुख माँगों में से थी। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अलग राज्य की माँग 1938 के काँग्रेस के श्रीनगर सम्मेलन से ही उठने लगी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह माँग लगातार जारी रही तथा टिहरी गढ़वाल के राजनीतिक नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को पहाड़ी इलाकों के समतल इलाकों से अलग करने की जरूरत, को महसूस किया था। 1946 में, बदरीदत्त पांडे जो कि जाने माने वकील एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे, ने हल्दवानी रैली में वनवासियों के अधिकारों की रक्षा एवं बेगार विरोध जैसे मुद्दों का उठाया था। उनकी माँगों को उत्तर प्रदेश में कुमाऊँ, टिहरी गढ़वाल

एवं ब्रिटिश गढ़वाल को मिलाने के बाद अनदेखा कर दिया गया। 1952 में कम्यूनिस्ट नेता पी. सी. जोशी ने नेहरू को एक ज्ञापन दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का एक राज्य बनाये जाने पर जोर दिया क्योंकि ये इलाके सदियों से पिछड़े थे। नेहरू ने इस माँग को खारिज कर दिया। के. एम. पर्णिकर ने उत्तर प्रदेश को बड़ा बनाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया, क्योंकि इससे प्रशासन चलाने में दिक्कत आयेगी। उत्तर-प्रदेश के तीन मुख्यमंत्रियों एच.एन. बहुगुणा, एन.डी. तिवारी एवं जी.बी. पंत ने इस आधार पर अलग राज्य बनाने का विरोध किया कि इस क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में रहने दिया जाये। लेकिन 1960-1970 के दशकों के दौरानअलग राज्य की माँग लगातार बढ़ती गयी। 25 जुलाई 1979 को उत्तराखण्ड क्रांति दल (यू. के. डी.) नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डी.डी. पंत थे, जो कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति भी थे। यू. के. डी. का मुख्य उद्देश्य था उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी के इलाकों को मिलाकर अलग राज्य का गठन करना। इस दल ने 1980 एवं 1986 के चुनावों में भाग लिया। इसके बाद 1980 के दशक के अंत में इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। कल्याण सिंह सरकार ने 1991 में, एस.पी.-बी.एस.पी. सरकार ने 1994 में तथा बी.एस.पी.-बी.जे.पी. सरकार ने 1997 में विधान सभा में उत्तराखंड के गठन का प्रस्ताव पारित करवाया था। इसके बाद 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी अलग राज्य बनाने की माँग उठने लगी, जैसे कि हरित प्रदेश, बुंदेलखंड एवं पूर्वाचल तथा अवध प्रदेश। 1990 दशक के शुरूआत में अलग उत्तराखण्ड की माँग काफी लोकाप्रिय हुई थी क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रारंभ में, उत्तराखंड का आंदोलन अलग राज्य के लिए नहीं था, यह तब सामने आया जब 1994 में उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। क्योंकि उस समय पहाड़ी इलाकों की आबादीओ. बी. सी. की तुलना में उच्च जाति के वर्गों की अधिक थी। इससे यह अंदेशा हुआ कि आरक्षण उनके हितों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी लोगों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस एवं आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने जवाब में गोली चलाई जिसमें कई लोग मारे गये। इस घटना को हम खटीमा कांड के रूप में जानते हैं। इस खटीमा कांड के बाद उत्तर प्रदेश में तनाव और बढ़ गया, तथा लोगों ने इस घटना के विरोध में अलग राज्य की माँग की और गति प्रदान की। उनका मानना था कि उन्हें शासन करने के लिए अपना राज्य चाहिये। इसलिए उत्तराखण्ड की माँग करने लगे। खटीमा कांड के बाद 1996, 1998 एवं 1999 के लोक सभा चुनाव एवं 1998 के विधान सभा चुनावों में इसका प्रभाव दिखाई दिया। इन चुनावों में भी उत्तराखण्ड की माँग सुनाई देने लगी। केन्द्र एवं राज्य दोनों जगह पर एन.डी.ए. की सरकार थी जिसने इस माँग को स्वीकार कर लिया, इसके बाद अलग उत्तराखण्ड राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी।

8.5.4 तेलंगाना राज्य की माँग के लिए आंदोलन

सन् 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ जिलों को मिलाकर तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। एक राज्य बनने से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य का विशेष पहचान वाला राज्य था। यह आंध्र प्रदेश के दो अन्य क्षेत्रों - रायलसीमा और तटीय आंध्र से भिन्न था। हैदराबाद निजाम के शासन में तेंलगाना हैदराबाद राज्य तथा तेलंगाना और आंध्र मद्रास प्रेजिडेंसी के हिस्से थे। कांग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट दल ने तेलंगाना, आंध्र तथा रायलसीमा क्षेत्रों को भाषा के आधार मिलाकर एक आंध्र राज्य बनाने की माँग की थी। 1953 आंध्र तेलुगु भाषा

के आधार पर एक राज्य निर्माण की मांग गांधीवादी पॉटी श्रीरामलू के लिए भूख हड़ताल की थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मांग की थी आंध्र प्रदेश को भूतपूर्व मद्रास प्रेंजीडेस तथा हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाए। पॉटी श्रीरामलू की मृत्यु के बाद केंद्रीय सरकार राज्य पुर्नगठन आयोग (एस. आर. सी.) की स्थापना की जिसका उद्देश्य नये राज्यों के निर्माण की आवश्यकताओं तथा उनके आधारों की जाँच करना था। एस. आर. सी. ने 1955 में रिपॉर्ट जमा की तथा पाया की तेलंगाना , रायलसीमा तथा तटीय आंध्र क्षेत्रों में एकरूपता का अभाव था। आयोग ने एक पाँच साल के लिए तेलंगाना राज्य बनाने का सुझाव कुछ शर्तों के आधार पर किया। यह शर्त थी कि तेलंगाना राज्य के अस्तित्व में आने के पाँच साल बाद तेलुगु भाषा के आधार पर तेलंगाना के साथ-साथ तटीय आंध्र और रायलसीमा को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जाए। परन्तु पाँच साल की समाप्ति से पहले तेलुगु भाषा के आधार पर 1956 में रायलसीमा, तटीय आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश के निर्माण को तेलंगाना क्षेत्र में इस संदेह के साथ देखा गया कि यह उनके ऊपर आंध्र क्षेत्र के लोगों कावर्चस्व स्थापित कर देगा क्योंकि तेलंगाना क्षेत्र के लोग आंध्र क्षेत्र के लोगों से आर्थिक और शैक्षिक आधार से पिछड़े थे। यह आशंका इसके बावजूद हुई कि आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र एक समान तेलुगु भाषा बोलते थे। आंध्र राज्य बनने के विरोध में एक आंदोलन हुआ। जिसके परिणामस्वरूप तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों के कांग्रेसी नेताओं के मध्य 1956 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के जेटिलमेन एग्रीमेंट (Gentleman Agreement) के नाम से जाना गया था तथा इसका उद्देश्य तेलंगाना क्षेत्र के हितों की रक्षा करना था। अन्य आश्वासनों के साथ, जेंटिलमेन एग्रीमेंट के दो मुख्य आश्वासन थे। प्रथम, एक क्षेत्रीय समिति का निर्माण किया जाएगा जो क्षेत्रीय समस्याओं का निरीक्षण कर उनके समाधान का सुझाव देगी। द्वितीय, यदि मुख्यमंत्री एक क्षेत्र से होगा तो उपमुख्यमंत्री दूसरे क्षेत्र से होगा। जेंटिलमेन एग्रीमेंट के हस्तातरित होने के कुछ समय पश्चात तेलंगाना क्षेत्र के लोग में रोश पैदा हो गया कि समझौते का पालन नहीं किया गया। तेलंगाना क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की कि उनका क्षेत्र आतंरिक उपनिवेश बन गया; विद्यार्थी, नौकरशाह, अध्यापक, वकील तथा व्यापारी आंध्र क्षेत्र से थे; उनका मानना था कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एक पिछड़ा क्षेत्र बना रहा। नवयुवकों के एक बुद्धिजीवी समूह ने तेलंगाना प्रजा समिति (टीपीएस) का निर्माण किया जो एक गैर राजनीतिक संगठन था तथा जिसका उद्देश्य तेलंगाना राज्य के लिए लामबंदी करना था। टी पी एस के निर्माण के कुछ समय पश्चात् इसमें चेन्ना रेडडी तथा काँडा लक्ष्मण जैसे राजनीतिज्ञ शामिल हो गए। टीपीएस ने 1971 को लोक सभा चुनाव तेलंगाना राज्य बनाने के मुद्दे पर लड़ा। इसने तेलंगाना क्षेत्र की 14 में 10 सीटों पर विजय प्राप्त की। चुनाव के बाद टीपीएस का कांग्रेस में विलय हो गया तथा तेलंगाना का मुद्दा पीछे रह गया, यद्यपि, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की हैदराबाद में स्थापना हो गई थी। 1985 में जी. ओ. 610 द्वारा एन टी रामाराव के नेतृत्व वाली टी.डी. पी. सरकार ने तेलंगाना क्षेत्र की समस्याओं को सम्बन्धित किया। इस जी. ओ. में नौकरियों में कुछ चयनों पर तेलंगाना में वहाँ के लोगो को रखने का आश्वासन दिया गया। यद्यपि चद्रबाबू नायडू की सरकार तेलंगाना राज्य निर्माण की विरोधी थी, इसने जी. ओ. 610 को लागू करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति की सदस्यता वाले आयोग - जे. एस. गर्गलानी आयोग की नियुक्ति की। गर्गलानी आयोग के अनुसार जी. ओ. 610 का उलंघन किया गया तथा तेलंगाना क्षेत्र के व्यक्तियों के स्थान पर आंध्र क्षेत्र के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। तेलंगाना राज्य की मांग को 2001 में के. चंद्रषेखर (के सी आर) द्वारा स्थापित तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) ने फिर से उठाया। इसने 2004 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। टी आर एस - कांग्रेस गठबंधन ने 2004 में सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। केंद्र में भी टीआरएस कांग्रेस के साथ यूपीए का

सदस्य थी। यूपीए सरकार ने एक उप-समिति का गठन किया जिसके प्रणव मुखर्जी तथा शरद पवार सदस्य थे। इस समिति का उद्देश्य तेलंगाना राज्य निर्माण के मुद्दे की समीक्षा करना था। इस समय, कांग्रेस तथा टीआरएस में मतभेद हो गए। परिणामस्वरूप 2006 में टीआरएस यूपीए से बाहर निकल गया।

टीआरएस के यूपीए गठबंधन से बाहर होने के पश्चात 2007 में आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा। ओस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना का मुद्दा हावी रहा, जिसका टीआरएस ने समर्थन तथा कांग्रेस ने विरोध किया। फिर भी, यूपीए सरकार ने जस्टिस श्रीकृष्णा के नेतृत्व में एक समिति का गठन था जिसका उद्देश्य तेलंगाना मुद्दे का निरीक्षण कर 31 दिसंबर 2010 रिपोर्ट जमा करना था। कई वर्षों की तेलंगाना राज्य की माँग की पृष्ठभूमि में यूपीए मंत्रीमण्डल ने 7 फरवरी, 2014 को एक बिल पास किया जिसमें आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव था - तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके ससंद के दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर केन्द्र सरकार का रूख क्या था?

.....

.....

.....

.....

.....

2) उत्तर-पूर्व भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) हिन्दी पट्टी इलाकों में अलग-राज्य के आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए।

.....

.....

.....

.....

8.6 राज्य एवं राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया राजनीतिक मुनाफे के लिए की जाती है। तथा उनको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी तय करता है। सामान्यतया अलग राज्य के आंदोलन राजनीतिक दलों के भीतर से ही पनपने लगती है। ये चुनावों के दौरान, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं गुटबाजी के फलस्वरूप भी सामने आती हैं। राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तब इस माँग का समर्थन करते हैं लेकिन जब सत्ता में होते है तो इसका विरोध करते हैं। यहाँ तक राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं स्थानीय नेतृत्व में अंतर होता है। क्योंकि दोनों स्तर पर जाति समूहों का समर्थन अलग-अलग होता है।

तेलंगाना एवं झारखंड के गठन के आंदोलनों को छोड़कर अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या हरित प्रदेश के आंदोलन में जनता की भागीदारी की कमी थी। इनकी माँग केवल राजनीतिज्ञों, ने सेमिनार, सम्मेलनों, या प्रस्तावों के माध्यम से ही उठायी थी। पॉल आर. ब्रास के अनुसार, सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इनकी माँग को मान लिया था। इन शर्तों में यह कहा गया था कि उन्हीं क्षेत्रों में अलग राज्यों की माँगों को माना जायेगा जहाँ पर इस प्रकार की माँगों का समर्थन दोनों ओर से हो - वे क्षेत्र जो नए राज्य की माँग करते हैं तथा वे राज्य जिनमें से नए राज्य बनाएं जाएं।

8.7 सारांश

अलग राज्य की माँग किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर नये राज्य बनाने के उद्देश्य से होती है। नये राज्यों की अपनी अलग विधायिका एवं कार्यपालिका होनी चाहिए ताकि ये राज्य अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य कर सके। नये राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार गठित किया जा सकता है। इस अनु. के मुताबिक केवल केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह नये राज्यों का गठन करे, हालांकि केन्द्र सरकार यह कार्य राज्य विधान सभा की सलाह मशविरा के साथ करती है। नये राज्यों के गठन की माँगके आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारण होते है। ये कारण वास्तविक भी हो सकते है तथा काल्पनिक भी। भारत में अलग राज्य के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही आंदोलन हो रहे हैं। आंध्र राज्य सबसे पहला राज्य था जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953 में बना, यह प्रदेश पॉटी श्रीरामूलू के निधन के बाद बना। यह भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य था। वास्तव में कई क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन करने की माँग उठी थी। लेकिन केन्द्र सरकार भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी। फिर भी केन्द्र सरकार ने न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी) का गठन किया था। एस. आर. सी. ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि एक प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषाओं की भी पहचान की जायेगी। एस. आर. सी. की सिफारिशों के आधार पर ही भाषायी राज्यों का गठन किया गया था। इसके बाद अनेक अन्य माँग भी बढ़ने लगी। 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ, 1966 में हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का भाषा के आधार पर तथा पंजाब धर्म एवं भाषा के आधार पर गठन हुआ। उत्तर-पूर्व भारत के राज्य एस. आर. सी. की सिफारिशों का हिस्सा नहीं थे। इस क्षेत्र का पुर्नगठन बाद में किया गया था। उत्तर-पूर्व का पुर्नगठन आधार भाषा न होकर जाति, नस्ल, एवं रीतिरिवाज थे। इस प्रकार 1963 में नागालैण्ड का गठन हुआ, 1972 में मेघालय का। छत्तीसगढ़, झारखंड, एवं उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ था जो कि हिन्दी पट्टी क्षेत्र के राज्य हैं तथा 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया जो कि दक्षिण भारत में है। ये नये राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाये गये बल्कि विकास के स्तर पर बनाये गये हैं।

8.8 संदर्भ सूची

मुखर्जी, पम्पा (2011), ''द क्रीएशन ऑफ ए रीजनः पोलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटि एंड डेवेलोपमेंट इन उतराखंड'', आशुतोष कुमार (संकलित) ''रीजनस वीदिन रीजनसः रिथिंकिंग स्टेट पोलिटिक्स इन इंडिया'', नई-दिल्ली, राउटलेज।

नाग, सजल (2011), '' *'लिंगविस्टिक प्रॉविंसिस' टू 'होम लेंडसः सिफ्टिंग पैराडेमस ऑफ स्टेट मेकिंग' इन पॉस्ट-कॉलोनियल इंडिया*', आशा सारंगी एवं सुधार पाई (एड.)*इंटरोगेटिंग रिआर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्सः कल्चर, आईडेंटिटी एण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया,* राउटलेज, नई-दिल्ली.

सिंह, ए. के. (2009), *फेडरल परस्पेक्टिव, कॉंस्टिटयूशनल लॉजिक एण्ड रिआर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज विद मयँक* पब्लिकेषन, न्यू डेलही.

सिंह, जगपाल (2011),''पॉल्टिक्स ऑफ हरित प्रदेशः द केस आफ वेस्ट्रन यू पी एज ऐ सेपरेट स्टेट'', इकॉनामिक एण्ड वीकली, वो. 36, न. 31, अगस्त 4-10, पे. 2961-2967.

टिलिन, लूइस (2011), ''रिओगनाइजिंग दि हिंन्दी हार्टलैण्ड इन 2000ः द रीजनल पोलिटिक्स ऑफ स्टेट फॉरमेषन इन आशा सारंगी एण्ड सुधा पई (एड.) इंटरोगेटिंग रिआर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, पे. 107-126.

टिलिन, लूइस (2013), रिमैपिंग इंडियाः द पोलिटिक्स ऑफ बॉर्डरस इन इंडिया, हस्ट एंड कंपनी, लंदन।

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) एक या एक से अधिक राज्यों से अलग करके बनाये जाने वाले राज्य के लिए आंदोलन ही 'राज्य का दर्जा' वाला आंदोलन कहलाता है। स्वायत्ता आंदोलन 'राज्य दर्जे के आंदोलन से भिन्न है, क्योंकि यह अलग राज्य की माँग नहीं करता बल्कि राज्य के अंतर्गत ही स्वायत्ता की बात करता है।

2) अलग राज्य का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार गठित किया जा सकता है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पहल करने का अधिकार दिया गया है। वे संबंधित राज्य से इस सिलसिलें में विचार विमर्श कर सकते हैं। संबंधित राज्य अपनी विधान सभा में प्रस्ताव पारित करके अपनी सहमति राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद यदि संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं। इस प्रकार नये राज्य के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्र सरकार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के पक्ष में नहीं थी। क्योंकि उस वक्त देश के सामने, विभाजन के बाद कई गंभीर चुनौतियों सामने थी। नेतृत्व को लगा कि इससे देश कमजोर होगा। हालांकि बाद में आंध्र राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, क्योंकि पॉटी श्रीरामूलू ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी। भाषा के आधार पर राज्य के गठन की माँग को देखते हुए

सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग (एस.आर.सी.) का गठन किया। एस. आर. सी. ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का सुझाव दिया था। उसके बाद 1950 के दशक में, भाषाई आधार राज्यों का संगठन भी किया गया।

2) उत्तर-पूर्व राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया। नागालैण्ड प्रथम राज्य था जिसका गठन 1963 में किया गया था। उसके बाद 1972 में मेघालय का गठन किया गया तथा 1985 में असम-समझौते के बाद अरूणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को राज्यों का दर्जा दिया गया। उसके बाद बोडोलैण्ड की माँग भी उठने लगी। उत्तर-पूर्व का पुर्नगठन एस. आर. सी. के सुझावों के आधार पर नहीं किया गया। उत्तर-पूर्व का पुनर्गठन विकास एवं सांस्कृतिक, जातीय कारकों को ध्यान में रखकर किया गया था।

3) हिन्दी पट्टी क्षेत्रों में अलग राज्य की माँग भी काफी लंबे समय से उठ रही थी। इनमें सबसे प्रमुख माँग थी उत्तर-प्रदेश को चार हिस्से में बाँटा जाये जिसमें उतराखंड भी शामिल था। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, तथा बिहार से झारखंड बनाने की माँग। इसका मुख्य कारण था इन क्षेत्रों में निम्न विकास का स्तर। हरित प्रदेश को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों को यह मान लिया गया कि वहाँ पर काफी पिछड़ापन है। अलग राज्य बनने के बाद इन इलाकों का विकास करना आसान हो जायेगा। हरित प्रदेश के मामले में यह बात सामने आयी कि यह क्षेत्र उतना पिछड़ा नहीं है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सिवाय कुछ आंदोलनों के बाकी आंदोलनों में जनता का समर्थन ज्यादा नहीं था। उन्हें राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के लोगों ने उठाया था जिनका मकसद राजनीतिक था।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY